

रजिनामा एवं आपसी सहमती नहीं बनने पर
पत्रावली न्यायालय में दिनांक 22/03/22
को पेश हो।

30-3-22

आज पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी के वकील
अनुपस्थित। पत्रावली में आवाज दिलवाई गई
कोई भी उपरोक्त नहीं आये। इससे यह
परीत होता है कि वादी अपना वाद नहीं
चलाना चाहते हैं। अतः वादी के वाद को
अदम दायरी व अदम पैरवी में खारीज
सिमा जाता है। पत्रावली केसल सुमार होकर
नम्बर कम हो। वाद तकमील दाखिल लेख
भण्डार हो।

उपखण्ड अधिकारी
नौरतना (अदम) राय

